तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/6178/2005/भीलवाडा आनंदकंवर के का0मु0 बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य

उपस्थित–
श्री बसंत विजयवर्गीय, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा, उपराजकीय अधिवक्ता, सरकार

निर्णय
दिनांकः– 22–01–2020

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के तहत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–09–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

आलोच्य आदेशानुसार न्यायालय ने मूल अपील में पारित निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा पेश नजरसानी प्रार्थना पत्र को खारिज किया है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता का कथन है कि मामले में विचारण न्यायालय ने कायम किए गए विवाद्यकों को उपलब्ध साक्ष्य पर विरचित नहीं किया है। इस कारण विचारण न्यायालय का निर्णय जो कि आदेश 20 नियम 5 सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत है। यहीं नहीं उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीगण की अपील को प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सारहीन पाते हुए अपास्त किया, जो कि आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत है। आगे कहा कि विचारण न्यायालय ने विवाद्यकों की संरचना गलत की है तथा साक्ष्य में प्रश्नगत रकबा नगरपालिका सीमा से बाहर है व राजकीय भूमि नियमन योग्य है। इसके अतिरिक्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा भूमि पर मुखालफाना हो गया है। आगे कहा कि प्रथम अपीलीय न्यायालय को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/6178/2005/भीलवाडा आनंदकंवर के का0मु0 बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपना निर्णय साक्ष्य व अभिवचनों के आधार पर पारित करना चाहिए न कि नया विवाद उत्पन्न करें। उनका तर्क है कि प्रश्नगत रकबे के नियमन की कार्यवाही बाबत तहसीलदार ने अनुशंषा की है। इसके अतिरिक्त उक्त आराजी में से कई व्यक्तियों को अलग–अलग नियमन/आवंटन किया गया है। आगे तर्क है कि मूल दावे की कार्यवाही में प्रतिवादी ने कोई आक्षेप नहीं उठाया है, इस कारण वादीगण का वाद स्वीकार किए जाने योग्य है। उनका आगे तर्क है कि विचारण न्यायालय ने आवंटन नियम 1970 के तहत अपना निर्णय पारित किया है, जबकि ऐसे निर्णय के विरूद्ध पेश अपील में अपीलीय न्यायालय ने अधिनियम की धारा 13, 15 व 19 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जाने के बाबत अपना निर्णय पारित किया है। उक्त परिवेश में मामले में पारित किए गए समस्त निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने निगरानी स्वीकार भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06–09–2005 को निरस्त करते हुए प्रार्थीगण द्वारा पेश नजरसानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा मूल अपील में पारित निर्णय दिनांक 30–03–2005 तथा उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–10–2004 को निरस्त करते हुए प्रार्थीगण/वादीगण के वाद को स्वीकार किए जाने का निवेदन किया। उन्होंने अपने तर्को के समर्थन में 2008 आरआरटी (2) 1090, 2011 (2) सिविल कोर्ट कैसेज 405, 1996 (2) डब्ल्यूएलसी राज. 70 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किए। उपराजकीय अधिवक्ता ने बहस में कहा कि प्रश्नगत रकबा राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज होने के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/6178/2005/भीलवाडा आनंदकंवर के का0मु0 बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कारण ऐसी भूमि के बाबत किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार देय नहीं है तथा इस कारण वादीगण का वाद संधारण योग्य नहीं है। आगे बताया कि आराजी मुतनाजा पर यदि वादीगण का लम्बा कब्जाकाश्त है तो नियमानुसार नियमन की कार्यवाही की जा सकती है तथा यदि वादीगण आवंटन की पात्रता रखता है और उसका प्रकरण निरस्त किया गया है तो उन्हें सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील पेश की जानी चाहिए। उनका तर्क है कि नियमित वाद के जरिये धारा 88 के तहत सरकारी भूमि पर खातेदारी देने का कोई प्रावधान नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि प्रश्नगत रकबा नगरपालिका क्षेत्र की भूमि होने के कारण ऐसी भूमि का नियमानुसार नियमन नहीं किया जा सकता है। अन्त में उन्होंने निगरानी खारिज कर आक्षेपित निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा आक्षेपित निर्णय एवं समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया।

प्रश्नगत प्रकरण में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा मूल अपील संख्या 288/2004 में पारित किए गए निर्णय दिनांक 30-03-2005 के विरूद्ध प्रार्थीगण ने नजरसानी प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय से खारिज किया। नजरसानी में केवल उस सीमा तक ही विचार किया जा सकता है जिस सीमा तक आदेश 47 नियम 1 सीपीसी में प्रावधान दिये गये है, इसके अनुसार –

According to section 47 (C.P.C.) , the scope of review is very limited. The review of judgment may be on three grounds, namely :-

(i) Discovery of new and important matter of evidence (i.e. fresh facts) which after the exercise of due deligence was not within the knowledge of the applicant or could not be produced by him at the time when the decree was passed or order was made , OR

(ii) Some mistake or error apparent on the face of the

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/6178/2005/भीलवाडा आनंदकंवर के का0मु0 बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

record, OR

(iii) For any other sufficient reasons (which has been interpreted to be analogous to the other reasons specified above.)

हमने नजरसानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कारणों का अवलोकन किया है तथा हम पाते है कि प्रार्थीगण द्वारा जिन आक्षेपों को उद्धरित किया गया है, उनको अपीलीय न्यायालय ने मूल अपील में पारित निर्णय में विस्तार से विवेचित कर दिया है। इस कारण प्रार्थीगण रेकार्ड पर स्पष्टतया दिखाई देने वाली त्रुटि स्पष्ट नहीं कर सके। अतः मूल अपील में पारित निर्णय के विरूद्ध नजरसानी प्रार्थना पत्र के जरिये प्रार्थीगण कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है।

द्वितीय प्रकरण की गुणावगुण पर स्थिति इस प्रकार है कि अधिनियम की धारा 13, 15 तथा 19 के तहत वादीगण ने अपने वाद को प्रलेखीय साक्ष्य से प्रमाणित नहीं करवाया है। आराजी राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज है तथा वादीगण की रकबे पर अतिक्रमी की हैसियत से ज्यादा कुछ नहीं है। वादीगण का आराजी पर लम्बा कब्जा केवल मात्र अतिक्रमी की हैसियत से सिद्ध है। इसके अतिरिक्त मात्र लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिए जाने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

प्रार्थीगण का आक्षेप है कि प्रश्नगत रकबे के नियमन बाबत तहसीलदार द्वारा सिफारिश की गई है, यदि ऐसा मामला पाया जाता है कि वादीगण को आराजी के बाबत नियमन की कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पेश कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिए। अतः हमारी विनम्र राय में प्रार्थीगण का वाद गुणावगुण पर सशक्त नहीं होना प्रकट होता है। प्रार्थीगण ने जिन न्यायिक दृष्टान्तों को अपने समर्थन में पेश किए है, उनके तथ्य भिन्न होने के कारण इनसे

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/6178/2005/भीलवाडा आनंदकंवर के का0मु0 बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थीगण को कोई लाभ देय नहीं है। उपरोक्त समस्त विवेचन की रोशनी प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन/बलहीन होने के कारण इसे खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। स्थिति यह प्रकट होती है कि निगराकार ने निगरानी मीमो में असंगत आधार अभिवचित करने के कारण उन्हें कोई अनुतोष देय नहीं है। परिणामतः प्रस्तुत निगरानी सारहीन व बलहीन पायी जाने के कारण खारिज की जाती है। इसके साथ ही भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06–09–2005 को यथावत बहाल रखा जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(प्रवीण गुप्ता)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/6178/2005/भीलवाडा आनंदकंवर के का0मु0 बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए